

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड-2)- 512 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-02.12.2025 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित डेयरी फिल्ड ऑफिसर को जिला गव्य विकास पदाधिकारी में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-8) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री सुरेन्द्र कुमार, डेयरी फिल्ड ऑफिसर सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी।	डेयरी फिल्ड ऑफिसर
2	श्री राकेश कुमार निराला, डेयरी फिल्ड ऑफिसर सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा।	डेयरी फिल्ड ऑफिसर
3	श्री सत्य प्रकाश, डेयरी फिल्ड ऑफिसर सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान।	डेयरी फिल्ड ऑफिसर

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-8) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जीतेन्द्र कुमार मिश्रा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड-2)-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड-2)-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड-2)-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (गव्य)/सभी संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/सभी संबंधित उप निदेशक (गव्य)/सभी संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 06/2023 (खंड-2)- 513

/पटना-15, दिनांक- 30/01/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जीतेन्द्र

सरकार के अवर सचिव।